

कैम्प कार्यालय जिलाधिकारी, फर्रुखाबाद।

संख्या ५०४) /आ०ले०-जि०अ०-२०१४

दिनांक

२) जुलाई

2014

अधिशायी अभियन्ता विद्युत
ग्रामीण क्षेत्र फर्रुखाबाद।

आप अवगत हैं कि दिनांक 19-7-2014 को विकास खण्ड शमसाबाद के डा० राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम खगऊ व वक्सुरी का भ्रमण कार्यक्रम मेरा पूर्व निर्धारित था जो कार्यालय के पत्र संख्या 6368/आ०ले०-जि०अ०-2014 दिनांक 01-7-2014 निर्गत किया जा चुका था। आप व आपके अधीन उप खण्ड अधिकारी श्री जे०आर० गौतम व अवर अभियन्ता द्वारा इन दोनों ग्रामों में मेरे जाने से पूर्व विभागीय स्थिति का जायजा नहीं लिया गया, जिससे मेरे निरीक्षण के समय निम्नलिखित कमियां मिली:-

1- मीटर रखे हैं जो लाइन से नहीं जोड़े गये हैं। कुछ लोगों ने बताया कि उनकी लाइन भी नहीं जुड़ी है लेकिन दोनों तरह के मामलों में विजली के बिल लगातार आ रहे हैं। गांव में कई बार अवर अभियन्ता व उप खण्ड अधिकारी से शिकायत की लेकिन कोई निराकरण नहीं किया गया।

2- गांव में 17 खम्भे तथा 02 ट्रान्सफारमर हैं। जिनमें से चार पोल टूटे हैं तथा दोनों ट्रान्सफारमर लगभग एक साल से खराब हैं, गांव में मात्र दो विद्युत संयोजन हैं। उप खण्ड अधिकारी विद्युत द्वारा तैनाती के दौरान चार माह में एक बार भी उक्त ग्राम का निरीक्षण एवं भ्रमण नहीं किया गया।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि आप द्वारा विभागीय अनुश्रवण में अपेक्षित सावधानी नहीं बरती गई है तथा आपके अधीनस्थ, उप खण्ड अधिकारी जो इस क्षेत्र के पर्यवेक्षणीय दायित्व रखते हैं, ने मा० मुख्य मंत्री जी के महत्वपूर्ण डा० राम मनोहर लोहिया समग्र ग्रामों का भ्रमण नहीं किया है, जिससे विद्युत सम्बन्धी रख-रखाव की समस्या भी 06 वर्ष से ठीक नहीं हो सकी। ग्राम वक्सुरी विकास खण्ड शमसाबाद में एक वर्ष पूर्व टूटे 04 खम्भों को नहीं बदला जा सका तथा ट्रान्सफारमर नहीं बदले जा सके। अतएव उप खण्ड अधिकारी की कर्तव्यहीनता के परिणामोस्वरूप इन्हें तत्काल प्रभाव से अपने अधीन सम्बद्ध किया जाना उपयुक्त होगा। इस क्षेत्र का कार्यभार किसी अन्य उप खण्ड अधिकारी को दिया जाये। सम्बद्धता की अवधि में इनके क्षेत्र के समस्त लम्बित कार्यों की सूची तथा जिले के समस्त डा० राम मनोहर लोहिया समग्र ग्रामों का भ्रमण कर विद्युत सम्बन्धी कमियों की सूची बनाने का कार्य दिया जाये तथा इनके द्वारा किये गये कार्यों का अनुश्रवण कर मुझे अवगत कराया जाये। श्री गौतम को तत्काल प्रभाव से अग्रिम आदेशों तक कोई वेतन देय नहीं होगा साथ ही इनके द्वारा विगत एक साल में इनके क्षेत्र में किये गये कार्यों का विवरण मांगा जाय, जिस पर यह देखा जाय कि इन्होंने अपने पदीय दायित्वों का निर्वहन किस तरीके से किया है।

(एन०के०एस०चौहान)

जिलाधिकारी
फर्रुखाबाद।

प्रतिलिपि:-

- 1- आयुक्त, कानपुर मण्डल कानपुर की सेवा में अवलोकनार्थ प्रेषित।
- 2- प्रबन्ध निदेशक, दक्षिणांचल विद्युत वितरण खण्ड आगरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 3- अधीक्षण अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड फर्रुखाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(एन०के०एस०चौहान)

जिलाधिकारी
फर्रुखाबाद।